समक्ष :- माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.).

मिसलेनियस अपील नं. 341 /2003

अपीलार्थीनी :- कुमारी सोनिया गुलाटी पुत्री श्री के.एस. गुलाटी
उम्र लग. 26 वर्ष निवासी-मॉडर्न टाऊन नेहरूनगर
भिलाई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//विरूद्ध//

उत्तरवादीगण:-1. कल्लूदास आत्मज ननकूदास उम्र 53 वर्ष.
निवासी ग्राम-जोधापुर थाना-धमतरी
जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)
चालक ट्रक क्रं.- एम.ओ.आर. 6111

2. श्रीमती रणजीत कौर धर्मपत्नी हरबक्य सिंह
निवासी-रिसाली पारा धमतरी जिला-रायपुर
मालिक ट्रक क्रं.- एम.ओ.आर. 6111

3. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
बजरंग मार्केट, रायपुर (छत्तीसगढ़)
बीमा कंपनी ट्रक क्रं.- एम.ओ.आर. 6111

4. तुलू बहादुर आत्मज धनराज श्रेष्ठ आयु 30 वर्ष
निवासी-मॉडर्न टाऊन नं.8 नेहरूनगर भिलाई (छ.ग.)
चालक मारूती वेन क्रं.-एम.पी.24 एल. 1587

5. विमल सुराना आत्मज बी.एल. सुराना
निवासी-सुराना भवन मालवीय रोड रायपुर (छ.ग.)
मालिक मारूती वेन क्रं.-एम.पी.24 एल. 1587

6. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
बजरंग मार्केट, रायपुर (छत्तीसगढ़)
बीमा कंपनी मारूती वेन क्रं.-एम.पी.24 एल.1587

P.R. No. - 1 to 03
Presented by Shri S.A. Dharmadhikari
dated 25.02.03

अपील अंतर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम 1994.

यह अपील माननीय न्यायालय प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय, राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 24.9.2002 प्रकरण क्रमांक 16/96 कुमारी सोनिया गुलाटी विरूद्ध कल्लूदास एवं अन्य में पारित एवार्ड के विरूद्ध यह अपील श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

अपील का मूल्यांकन - 7,00,000=00

पेज 2 पर ..

XI-HC—78

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

**मामला क्रमांक** M.A.No.341/03 **सन्** 200

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

| आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक | हस्ताक्षर सहित आदेश | कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश |
|---|---|---|
| | **Division Bench :**<br>**Hon.Shri Fakhruddin, J. &**<br>**Hon.Shri L.C. Bhadoo, J.**<br>**01-11-2004**<br><br>Appellant/s by Shri S.C. Verma, Adv.<br><br>The case is listed for orders on defaults.<br><br>Learned counsel for the appellant/s prays for time to remove the defaults.<br><br>As prayed, two weeks time is granted to remove the defaults.<br><br>If the defaults are not removed within the stipulated time the appeal shall be dismissed automatically without further reference to<br><br>**Sd/-**<br>**Fakhruddin**<br>**Judge**<br><br>**Sd/-**<br>**L.C. Bhadoo**<br>**Judge** | |

Gov